The Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994

Act 3 of 1994

Amendment appended: 24 of 2017

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

106

प्रमाणित प्रति

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98] भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 मार्च 1994—फाल्गुन 16, शके 1915

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक ७ मार्च १९९४

क्र. ३११३-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक ५ मार्च, १९९४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम.
क्रमांक ३ सन् १९९४

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४.

विषय-सूची

धाराएं

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
२. परिभाषाएं.
३. राज्य वित्त आयोग का गठन.
४. आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिये अर्हताएं और उनके चयन की रीति.
५. व्यक्तिगत हित से सदस्यों का निरर्हित होना.
६. आयोग के सदस्य होने के लिए निरर्हताएं.
७. सदस्यों की पदावधि और पुनर्नियुक्ति की पात्रता.
८. [illegible] सेवा की शर्तें और वेतन तथा भत्ते.
९. आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां.
१०. वे मामले जिन पर आयोग सिफारिशें करेगा.
११. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

2 107

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् १९९४

मध्यप्र[illegible]श राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४.

[दिनांक ५ मार्च, १९९४ को राज्य[illegible]ल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ७ मार्च, १९९४ को प्रथम बार प्रकाशित [illegible] गई.]

राज्य वित्त आयोग के सदस्यों [illegible] रूप में नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हताओं तथा उनके चयन किए जाने की रीति अवधारित करने और [illegible]की प्रक्रिया विहित करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंता[illegible]ासवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनि[illegible]म का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ है.

(२) यह ऐसी [illegible]रीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम [illegible] जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से [illegible]भिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद २४३-झ के खण्ड (१) के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यप[illegible] द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग ;

(ख) "पंचायत" [illegible] अभिप्रेत हे भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३-ख के अधीन गठित कोई पंचायत ;

(ग) "नगरपालिक[illegible] से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३-थ के अधीन गठित नगरपालि[illegible] ।

(घ) "सदस्य" से [illegible]भिप्रेत है आयोग का कोई सदस्य और उसमें उसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है.

राज्य वित्त आयोग का गठन.

३. राज्य वित्त आयो[illegible] राज्यपाल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा.

आयोग के सदस्यों [illegible] रूप में नियुक्ति के लिये अर्हताएं और उनके चयन की रीति.

४. आयोग के अध्य[illegible] का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिन्होंने लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त किया है और अन्य [illegible] सदस्यों का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो—

(क) किसी उच्च [illegible]ायालय के न्यायाधीश है या रह चुके है या नियुक्त किए जाने के लिये अर्हित है ; या

(ख) सरकार के [illegible]त्त और लेखाओं का विशेष ज्ञान रखते है ; या

(ग) वित्तीय माम[illegible] और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते है ; या

(घ) अर्थशास्त्र क[illegible] विशेष ज्ञान रखते है.

[illegible] का निरर्हित होना.

५. किसी व्यक्ति को आयोग [illegible] अपना समाधान करेंगे कि उस व्यक्ति के ऐसे वित्तीय [illegible] अन्य हित नहीं होंगे [illegible] आयोग के सदस्य के [illegible] में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने में संभाव्य हो, और राज्यपाल आयोग के प्रत्येक सदस्य के [illegible] समय-समय पर अपना यह भी समाधान करेंगे कि उस[illegible] ऐसा कोई हित नहीं है और कोई [illegible] व्यक्ति जो कि आयोग का सदस्य है

...स रूप में जिसकी नियुक्ति के लिये राज्यपाल प्रस्थापना करते है, जब भी राज्यपाल द्वारा ऐसा अपेक्षित ...या जाए, उनको ऐसी सूचना देगा जो कि इस धारा के अधीन उसके द्वारा उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिये राज्यपाल आवश्यक समझते है.

६. कोई व्यक्ति आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने या होने के लिये निरर्हित होगा यदि— आयोग के सदस्य होने के लिए निरर्हताए

(क) वह विकृतचित्त का है ;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ,

(ग) वह ऐसे अपराध का दोष सिद्ध है जिसमें कि नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(घ) उसका ऐसा वित्तीय या अन्य हित है जिससे आयोग के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है.

७. आयोग का प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा जो उसे नियुक्त करने वाले राज्यपाल के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किन्तु वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा : सदस्यों की पदावधि और पुनर्नियुक्ति की पात्रता.

परन्तु वह राज्यपाल को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा.

८. आयोग के सदस्य, आयोग में पूर्णकालिक या अंशकालिक सेवा करेंगे जैसा राज्यपाल प्रत्येक दशा में विनिर्दिष्ट करें, और आयोग के सदस्यों को ऐसी फीस या वेतन तथा ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित करे. सदस्यों की सेवा की शर्तें और वेतन तथा भत्ते.

९. (1) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने कृत्यों के अनुपालन में उसे वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन वाद पर विचार करते समय सिविल न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के बारे में प्राप्त है, अर्थात् :— आयोग की प्रक्रिया और शक्तियां.

(क) साक्षियों को समन करना और उनकी उपस्थिति प्रवर्तित कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज को पेश कराने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना.

(२) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और मामलों पर जो कि आयोग की राय में आयोग के अधीन विचारार्थ किसी मामले में उपयोगी या उससे सुसंगत हैं; जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी.

(३) आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) की धारा ३४५ और ३४६ के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा.

स्पष्टीकरण.—साक्षियों की उपस्थिति प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं मध्यप्रदेश राज्य की प्रादेशिक क्षेत्र की सीमाएं होंगी.

१०. राज्य वित्त आयोग, संविधान के अनुच्छेद २४३-झ और २४३-म के अधीन उपबंधित किए गए मामलों पर राज्यप... ...करेगा. वे मामले जिन पर आयोग सिफारशें करेगा.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाली ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

भोपाल, दिनांक ७ मार्च १९९४

क्र. ३११४-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण मे मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 3 of 1994.

THE MADHYA PRADESH RAJYA VITTA AYOG ADHINIYAM, 1994.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and Commencement.

2. Definitions.

3. Constitution of State Finance Commission.

4. Qualifications for appointment as, and the manner of selection of members of the Commission.

5. Personal interest to disqualify members.

6. Disqualifications for being a member of the Commission.

7. Terms of office of members and eligibility for re-appointment.

8. Conditions of service and salaries and allowances of members.

9. Procedure and powers of the Commission.

10. Matters of which Commission to make recommendations.

11. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 of 1994.

THE MADHYA PRADESH RAJYA VITTA AYOG ADHINIYAM, 1994.

[Received the assent of the Governor on the 5th March, 1994; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 7th March, 1994.]

An Act to determine the qualifications requisite for appointment as members of the State Finance Commission and the manner in which they shall be selected, and to prescribe their powers.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty fifth year of the Republic of Indian as follows:—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act unless the context otherwise, requires,—

(a) "Commission" means the State Finance Commission constituted by the Governor of Madhya Pradesh in pursuant to clause (1) of Article 243-I of the Constitution;

(b) "Panchayat" means a Panchayat constituted under Article 243-B of the Constitution of India;

(c) "Municipality" means a municipality constituted under Article 243-Q of the Constitution of India;

(d) "Member" means a member of the Commission and includes the Chairman.

Constitution of State Finance Commission.

3. The State Finance Commission shall consist of a Chairman and two other members appointed by the Governor.

Qualification for appointment as, and the manner of selection of members of the Commission.

4 The Chairman of the Commission shall be selected from among persons who have had experience in public affairs, and the other two members shall be selected from among persons who,—

(a) are, or have been, or are qualified to be appointed as judges of a High Court; or

(b) have special knowledge of the Finances and Accounts of Government; or

(c) have had wide experience in financial matters and in administration; or

(d) have special knowledge of economics.

Personal interest to disqualify members.

5. Before appointing a person to be a member of the commission, the Governor shall satisfy himself that the person will have no such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member of the Commission, and the Governor shall also satisfy himself from time to time with respect to every member of the Commission that he has no such interest and any person who is, or whom the Governor proposes to appoint to be, a member of the Commission shall, whenever required by the Governor so to do, furnish to him such information as the Governor considers necessary for the performance by him of his duties under this section.

Disqualifications for being a member of the Commission.

6. A person shall be disqualified for being appointed as or for being a member of the Commission,—

(a) if he is of unsound mind;

(b) if he is an undischarged insolvent;

(c) if he has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(d) if he has such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member of the Commission.

Terms of office of Members and eligibility for re-appointment.

7. Every member of the Commission shall hold office for such period as may be specified in the order of the Governor appointing him, but shall be eligible for re-appointments :

Provided that he may, by letter addressed to the Governor, resign his office.

Conditions of Service and Salaries and Allowances of Members.

8. The member of the Commission shall render whole-time or part time service to the Commission as the Governor may in each case specify, and there shall be paid to the member of the Commission such fees or salaries and such allowances as the State Government may, by rules made in this behalf, determine.

Procedure and powers of the Commission.

9. (1) The Commission shall determine their procedure and in the performance of their functions shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(b) requiring the production of any document;

(c) requisitioning any public record from any court or office.

(2) The Commission shall have power to require any person to furnish information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, any matter under the consideration of the Commission.

(3) The Commission shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of Sections 345 and 3.. of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

Explanation.—For the purpose of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the Commission's jurisdiction shall be the limits of the territory of State of Madhya Pradesh.

Matters on which Commission to make recommendations.

10. The State Finance Commission shall make recommendations to the Governor on matters provided under Article 243-I and 243-Y of the Constitution.

Power to remove difficulties.

11. (1) If any difficulty arises in giving affect to the provisions of this Act, the State Government may by order, do anything not inconsistence with the provisions thereof which appears to be necessary or expedient or the purpose of removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made under this Section after the expiry of 2 years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this Act shall be laid on the table of Legislative Assembly.

डाक-व्यय का पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुज्ञप्त. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515] भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 अक्टूबर 1995—आश्विन 24, शके 1917

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १६ अक्टूबर १९९५

क्र. ११०६४-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक ११ अक्टूबर, १९९५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३३ सन् १९९५.

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, १९९५

[दिनांक ११ अक्टूबर, १९९५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ अक्टूबर, १९९५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, १९९५ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४) (जो इसमे इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

राज्य वित्त आयोग का गठन.

"३. राज्य वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यो से मिलकर बनेगा जिसमें से एक सदस्य-सचिव होगा.".

धारा 4 का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "चार" स्थापित किया जाए.

भोपाल, दिनाक १६ अक्टूबर १९९५

क्र. ११०६५-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण मे मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, १९९५ (क्रमांक ३३ सन् १९९५) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 33 OF 1995.

THE MADHYA PRADESH RAJYA VITTA AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1995.

[Received the assent of the Governor on the 11th October, 1995; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 16th October, 1995.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Substitution of new section for Section 3.

2. For Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following Section shall be substituted, namely :—

Constitution of State Finance Commission.

"3. The State Finance Commission shall consist of a Chairman and four other members, appointed by the Governor of whom one shall be member-secretary.".

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the Principal Act, for the word "two" the word "four" shall be substituted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, - मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1995.

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017—भाद्र 2, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र. 13936-192-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 अगस्त 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१७

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक 18 अगस्त, 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 24 अगस्त, 2017 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) शब्द "चार अन्य सदस्यों" के स्थान पर, शब्द "चार अन्य सदस्यों तक" स्थापित किए जाएं;

(दो) पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है.".

धारा ४ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द "चार" का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र.-13936-192-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) का अग्रेंजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 24 OF 2017

THE MADHYA PRADESH RAJYA VITTA AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 18th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th August, 2017].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

Amendment of Section 3.

2. In section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) for the words "four other members", the words "upto four other members" shall be substituted;

(ii) for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that no act or proceeding of the Commission shall be invalidated merely by reason of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Commission.".

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the principal Act, the word "four" shall be omitted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.